

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

अनौपचारिक
रूप से
परामर्शित

प्रेषक,
अजय कुमार सिंह,
सरकार के सचिव।
सेवा में,
महालेखाकार (ले० एवं हक०),
झारखण्ड, राँची।
द्वारा:- आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

राँची, दिनांक-14/06/18

विषय:- श्रावणी मेला, 2018 के सफल आयोजन हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्थापना व्यय अंतर्गत मल-जल तथा सफाई मद में उपबंधित राशि से देवघर नगर निगम को कुल रू० 3,00,00,000/- (तीन करोड़ रूपये) मात्र स्वीकृत करते हुए आवंटित किये जाने के संबंध में।

महाशय,

प्रत्येक वर्ष की भांति 2018 में भी देवघर में आयोजित होने वाले श्रावणी मेला के सफल आयोजन हेतु सरकार कृत-संकल्प है। इस संबंध में आवश्यक व्यवस्था के निमित्त सरकार एवं विभाग के स्तर से प्राप्त दिशा-निर्देश के आलोक में देवघर नगर निगम के सम्पूर्ण क्षेत्र में तीर्थयात्रियों के लिए विशेष व्यवस्था किये जाने का दायित्व नगर निगम को निर्वहन करना है। उक्त प्रयोजन हेतु देवघर नगर निगम द्वारा पत्रांक-1584, दिनांक-21.05.2018 के द्वारा राशि की मांग की गई है।

प्राप्त अधियाचना के आलोक में श्रावणी मेला, 2018 के सफल आयोजन हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्थापना व्यय अंतर्गत मल-जल तथा सफाई मद में उपबंधित राशि से देवघर नगर निगम को कुल रू० 3,00,00,000/- (तीन करोड़ रूपये) की स्वीकृति प्रदान करते हुए आवंटित की जाती है।

3. स्वीकृत राशि की निकासी स्थापना व्यय अंतर्गत नगर विकास एवं आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग) के मांग संख्या-48 के अधीन मुख्यशीर्ष-2215-जलापूर्ति तथा सफाई-उप मुख्यशीर्ष-02-मल-जल तथा सफाई-लघुशीर्ष-191-नगर निगम को सहायता-उपशीर्ष-08-पानी तथा मल-जल सफाई के लिए नगर निगमों को सहायक अनुदान-विस्तृत शीर्ष-06-अनुदान-79-सहायता अनुदान सामान्य (गैर-वेतन) विपत्र कोड-48S221502191080679 के अंतर्गत उपबंधित कुल रू० 8.00 करोड़ से विकलनीय होगी।

4. स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, देवघर नगर निगम के नगर आयुक्त होंगे, जिनके द्वारा देवघर कोषागार से राशि की निकासी की जाएगी।

5. स्वीकृत राशि का व्यय देवघर नगर निगम के पत्रांक-1584, दिनांक-21.05.2018 द्वारा प्राप्त अधियाचना में उल्लिखित घटकों में किया जाएगा।

6. विगत वित्तीय वर्ष के पूर्व वर्ष में निकासी की गयी राशि की उपयोगिता संबंधी विवरणी निम्नवत् है:-

निकाय का नाम	स्वीकृत्यादेश संख्या एवं तिथि	निकासी की गई राशि	प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र की राशि
देवघर नगर निगम	37/19.05.16	13,11,433	13,11,433

7. वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या-759/वि० दि०-20.03.2015 की कंडिका-5 (iii) के आलोक में स्वीकृत सहायता अनुदान की राशि के विपत्र पर सक्षम प्राधिकार या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षर के पश्चात् झारखण्ड कोषागार अधिनियम, 2016 के तहत निर्धारित विपत्र में प्रस्तुत किया जायेगा।
8. स्वीकृत अनुदान राशि की निकासी/व्यय वित्त विभागीय परिपत्र सं०-2561/वि०, दिनांक-17.04.98 एवं समय-समय पर निर्गत परिपत्र/अनुदेश के आलोक में नियम-संगत तरीके से की जायेगी तथा इस राशि से राज्य गठन के पूर्व का बकाया भुगतान नहीं किया जायेगा।
9. देवघर नगर निगम के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, आवंटित राशि के व्यय के पश्चात् व्यय राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में टी०भी०नं० एवं तिथि के साथ सक्षम स्तर से प्रतिहस्ताक्षरित कराकर महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को सीधे भेजते हुए उसकी एक प्रति सरकार को उपलब्ध करायेंगे।
10. देवघर नगर निगम के नगर आयुक्त झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 के बजट संबंधित धाराओं का अनुपालन करते हुए राशि का आहरण करेंगे। साथ ही निकाय के लेखा में राशि को सम्मिलित करने के पश्चात नियमानुसार व्यय करेंगे।
11. भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग तथा राज्य वित्त (अंकेक्षण) विभाग को इससे संबंधित पुस्तकों/पंजियों को देखने, जांच-पड़ताल एवं अंकेक्षण करने का पूर्ण अधिकार होगा।
12. वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या-759/वि० दिनांक-20.03.2015 (कंडिका-5) के आलोक में स्वीकृत राशि की निकासी हेतु प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

अतः संबंधित कोषागार पदाधिकारी वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या-759/वि० दिनांक- 20.03.2015 के आलोक में स्वीकृत राशि की निकासी सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन

(अजय कुमार सिंह)
सरकार के सचिव।

55

ज्ञापांक-2/न०वि०/श्रावणी मेला - 112/2016-.....राँची, दिनांक- 14/06/18

प्रतिलिपि-सचिव के प्रधान आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रमंडलीय आयुक्त, संधाल परगना, दुमका/स्थानीय लेखा परीक्षक, झारखण्ड, राँची/देवघर नगर निगम के नगर आयुक्त/कोषागार पदाधिकारी, देवघर कोषागार/अवर सचिव, बजट शाखा, नगर विकास एवं आवास विभाग/श्री कुणाल, विशेषज्ञ को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु/ऑनलाईन आवंटन हेतु श्री संदीप अग्रवाल, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।